

कार्यालय नगरपालिक निगम, इन्दौर (म.प्र.)



रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
.....649../का.से./2014/इन्दौर

दिनांक 1.6. APR. 2014

कालोनी प्रकोष्ठ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

इन्दौर नगर पालिक विषय
म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और उसके अन्तर्गत निर्मित म.प्र. नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 एवं संशोधित नियम एवं अधिनियम के अन्तर्गत

श्री/श्रीमती अश्विन पिता वन्दर सिंह मेहता डायरेक्टर

संस्था/मेसर्स सार्थक रियल एस्टेट प्रा. लि.

कार्यालय का पता एम. डेड. नं. 8, रेफन टावर ओल्ड पलासिया, इन्दौर

निवास का पता

जिला इन्दौर का एतद् द्वारा [redacted] भवन निर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है -

1. यह पंजीयन नगर पालिका निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र के लिये है।
2. लायसेंसी द्वारा प्रत्येक अतिरिक्त भूमि/भवन/भूखण्ड निर्माण करने से पूर्व सूचना पृथक से नगर पालिक निगम इन्दौर कॉलोनी सेल शाखा को अनिवार्यतः भूमि स्वामित्व के दस्तावेज/अनुबंध के साथ देना होगी।
3. नये अध्यक्ष/भवन निर्माता/प्रबंधक की पद स्थापना एवं संस्था के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन की स्थिति में आयुक्त नगर पालिका निगम इन्दौर को अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा।
4. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगा।
5. सहकारी गृह निर्माण संस्था होने की दशा में 90 दिन की कालावधि में बैंक ग्यारंटी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया समझा जावे।
6. भवन निर्माता को स्वतंत्र भवन/प्रकोष्ठ (अपार्टमेन्ट) में भवनों को विक्रय द्वारा अन्यथा अंतरण का प्रयोजन करने की पात्रता विधि अनुसार उसी दशा में होगी जब भवन निर्माता द्वारा ऐसे भवन निर्माण की अनुमति नियमानुसार निगम से प्राप्त कर ली गई हो।
7. पर्यावरण संरक्षण के नियमों/प्रावधानों का पालन करना होगा।
8. भवन निर्माता को मूलभूत सेवाएँ जैसे- सड़क, पानी, बिजली, मल वहन, कचरा इत्यादि के उपबंध करना अनिवार्य होगा।
9. निर्मित भवन में वॉटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था भवन निर्माता को स्वयं करनी होगी।
10. आवेदन में दी गई जानकारी असत्य होने अथवा छिपाए गये तथ्यों की स्थिति में तथा किसी प्रकार का विवाद या आपत्ति आने पर जारी किया गया प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
11. नियम एवं अधिनियमों के प्रावधान अन्तर्गत किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आने की स्थिति में रु. 5 लाख की जमा बैंक ग्यारंटी राजसात की सकेगी तथा दण्डीय प्रावधानों के अधीन वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 16 APR 2014



आयुक्त

नगर पालिक निगम, इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

कमांक...313.../का.सेल./19

दिनांक 12/7 APR 2019

प्रति,

मेसर्स सार्थक रियल बिल्ट प्रा.लि., तर्फे डायरेक्टर

श्री अश्विन पिता चन्द्रसिंह मेहता,

पूर्व पता:- एम.झेड.-06 रेफल टॉवर, ओल्ड पलासिया, इन्दौर।

नवीन पता:- 12/1 न्यू पलासिया, इन्दौर।

विषय :- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र नवीनीकरण बाबद।

संदर्भ :- पूर्व में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक 649 दिनांक 16/04/2014 के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म.प्र. कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन एवं शर्तें 1998 के अंतर्गत आपको संदर्भित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया था। आपके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर, प्रकरण में आवश्यक शुल्क के साथ रुपये 05 लाख की बैंक ग्यारंटी इत्यादि प्रस्तुत की है।

अतः आपको जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक 649 दिनांक 16/04/2014 का नवीनीकरण निम्न शर्तों के साथ किया जाता है :-

1. यह पंजीयन नगर पालिका निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र के लिये है।
2. लायसेंस द्वारा प्रत्येक कॉलोनी/भवन/प्रकोष्ठ निर्माण करने से पूर्व पृथक से नगर पालिक निगम इन्दौर कॉलोनी सेल शाखा से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना होगी।
3. नये अध्यक्ष/कालोनाईजर/प्रबंधक की पद स्थापना एवं संस्था के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन की स्थिति में आयुक्त नगर पालिका निगम इन्दौर को अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा।
4. यह नवीनीकरण पत्र दिनांक 10/04/2024 तक की अवधि के लिये मान्य होगा।
5. कालोनाईजर को भूखण्डों/भवन को विक्रय द्वारा अन्यथा अंतरण का प्रयोजन करने की पात्रता विधि अनुसार उसी दशा में होगी जब कालोनाईजर द्वारा ऐसी अनुमति नियमानुसार निगम से प्राप्त कर ली गई हो।
6. पर्यावरण संरक्षण के नियमों/प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. कालोनी/भवन निर्माण हेतु नगर निगम से प्राप्त होने वाली विकास अनुज्ञा की समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन अनिवार्य होगा।
8. आवेदन में दी गई जानकारी असत्य होने अथवा छियाए गये तथ्यों की स्थिति में तथा किसी प्रकार का विवाद या आपत्ति आने पर जारी किया गया प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
9. नियम एवं अधिनियमों के प्रावधान अन्तर्गत किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आने की स्थिति में रु. 5 लाख की जमा बैंक ग्यारंटी राजसात की जा सकेगी तथा दण्डीय प्रावधानों के अधीन वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।



उपायुक्त

कालोनी सेल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक

कमांक...../का.सेल./19

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन यंत्री, (मुख्यालय), भवन अनुज्ञा, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी, आय.टी. विभाग नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की ऑनलाईन प्रकाशित की गई सूची में उपरोक्तानुसार अपडेशन करवाने हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी, आटो डी.सी.आर., नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

|

उपायुक्त

कालोनी सेल

नगर पालिक निगम, इन्दौर